Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ कोटपूतली में पुलिस उप निरीक्षक 3,500/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़** को परिवादी से **3,500/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा बैंक के विरुद्ध न्यायालय के माध्यम से पुलिस थाना कोटपूतली में मुकदमा संख्या 380/2026 दर्ज करवाया गया था, जिसका अनुसंधान आरोपी राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था। प्रकरण में आगे की कार्यवाही करने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था।

शिकायत के क्रम में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम द्वारा दिनांक 19.08.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी राजेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी से 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा 1,500/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। शेष 3,500/- रुपये रिश्वत राशि बाद में प्राप्त करना तय हुआ।

मांग की पुष्टि होने पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान,** के नेतृत्व में आज ट्रैप कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, थाना कोटपूतली को परिवादी से 3,500/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। पुलिस थाना कोटपूतली में अग्रिम कार्यवाही जारी है।

आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।